उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल ,इन्दिरा भवन ,अशोक मार्ग, लखनऊ –226001

पत्र संख्या– एफएस–1076/2015(176) **दिनांकः अप्रैल , 27,2015**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (हा0/इंटी0)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
विपिन खण्ड गोमती नगर
लखनऊ,

विषय :–मेसर्स ओमेक्स लि0 साईबर टावर द्वितीय तल टी.सी.34/वी 02 विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ द्वारा ओमेक्स इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप, कामर्शियल–01,सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट/होटल भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–252/ई.ई/एच.टी.आई.जी./2014–2015 दिनॉक 14.01.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ,/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ,द्वारा किया गया । अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ,/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ की आख्या दिनॉक 24.04.2015 के अनुसार –

भवन की संरचना :–

1–कुल भूखण्ड एरिया 12139.84 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

2–प्रस्तावित भवन के भूतल का कबर्ड एरिया 4362.90 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3–प्रस्तावित भवन का कुल टिपिकल फ्लोर एरिया 41854.48 वर्ग मीटर है ।

4 –प्रस्तावित भवन के बेसमेंट का कबर्ड एरिया 9181.02 वर्ग मीटर है ।

5–भवन की अधिकतम् उॅचाई 46.300 मीटर है ।

भवन का अधिभोग एॅव हैजार्ड श्रेणी –प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॅाचागत व्यावस्था :–

1–पहुॅच मार्ग :–प्रश्नगत भवन के मानचित्र में 45 मीटर रोड की चौडाई अंकित है ।

2–प्रवेश व निकास द्वार की चौडाई :–भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 02 गेट प्रस्तावित है, जिनकी चौडाई 06–06 मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3–सेटबैक :–प्रस्तावित भवन का न्यनतम् सेटबैक निम्नवत है –

- अग्रभाग 12.00 मीटर ।
- पृष्ठभाग 12.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम 12.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय 12.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

4–निकास मार्ग :–प्रस्तावित भवन में भूतल से प्रथम तल हेतु 05 स्टेयरकेश ,प्रथम तल से द्वितीय तल हेतु 04 स्टेयरकेश तथा तृतीय तल से 13वें तल हेतु 03 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई 1.50–1. 50 मीटर मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिसटेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण –प्रस्तावित भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– एन0बी0 सी0 – 2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यावस्थाएं पूर्ण किये जाने अनिवार्य है :–

1–भूमिगत टैक :– भवन परिसर में 200 के.एल क्षमता का भूमिगत टैंक प्रस्तावित है ।

2–पम्पः–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का दो अद्द विद्युत चालित पम्प ,एक अद्द डीजल चालित पम्प 2850 एल0 पी0 एम0 क्षमता, जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

3 –होजरील :–प्रस्तावित भवन में होजरील ,लैडिंग वाल्ब,आई0एस0 –3844 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

4 –वेटराइजर :–प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानको के अनुरुप लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :–मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

7–स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम :–प्रस्तावित भवन मानचित्र में स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाना अंकित है ।

8–स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :– भवन के बेसमेंट, सहित समस्त तलों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है ,स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा ।

9–टैरिस टैक :–प्रश्नगत भवन के टैरिस पर अग्निशमन कार्य हेतु टैरिस टैक 25000 लीटर पानी के क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में अंकित है ।

10–टेरिस पम्प –प्रश्नगत भवन में आवश्यक नही है ।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर) :–प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0 2190–2010 के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा है ।

12–स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम :–

ए0–फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिगं 2 एच रखा जाना आवश्यक होगा ।

बी 0– प्रस्तावित भवन में बेसमेंट सहित समस्त फ्लोर पर स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है ।

13 –प्रेशराईजेशन प्रणाली :– प्रस्तावित भवन में प्रेशराईजेशन सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है जिसे ,डिटेक्सन सिस्टम से इंटरलाकिंग एन0बी0सी0 के मानको के अनुरुप किया जाना आवश्यक होगा ।

14 –एक्जिट साइनेज :–सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

15–पी0ए0सिस्टम :–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था भवन में प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ।

16–प्रश्नगत भवनो में **इमरजेंसी/एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0–2005 ,पार्ट–04 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

17–भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0–2005 , पार्ट–04 के प्रस्तर–सी–05,सी–06,सी–07,सी–08 व सी–09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

18– भवन में एन0बी0सी0 –2005 ,पार्ट–04 के प्रस्तर सी–1.15 के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटर सेट) स्थापित कर उससे भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों ,स्टैड बाई फायर पम्प,प्रेशराईजेशन फैन्स, स्मोक एक्सट्रैक्श्न तथा फायर डैम्पर सिस्टम को पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा ।

: उपरोक्तानुसार मेसर्स ओमेक्स लि0 साईबर टावर द्वितीय तल टी.सी.34/वी 02 विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ द्वारा ओमेक्स इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप, कामर्शियल–01,सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट/होटल भवन के निमार्ण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन /इकाइयो में अग्नि से सुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान व इस पत्र में अंकित शर्तो व भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इंडिया –2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त ,भवन का प्रयोग करने से पहले प्राविधानित एवं शर्तो के अनुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानक के अनुसार भैतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नक :01सेट मानचित्र

2/4

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक
उ0 प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय,

प्रतिलिपि –

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

2 –अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित ।